न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 170 / 2025 बउनवानी बिमा देवी **बनाम** तहसीलदार बौंली
निवासी कोडयाई तहसील बौंली जिला सवाई माधोपुर

Appeal Number- 321793829751062

GCMS No-2025/ 327

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिश्यिल जज	
26.11.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत ऑन ल5ाईन पोर्टल के माध्यम से दिनांक 20.8.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बौंली को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर ***" ग्राम रवॉसा तहसील बौंली के ख0न0 50 रकबा 2.53 है0 वेशाली नगर सोगानी कॉलेज की प्लॉट नम्बर 53,54,55,56 मेरे नाम है का दिनांक 1.1.2010 से अब तक कीतने विकय पत्र हुए है की प्रमाणित सूचना "*** तहसीलदार बौंली से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत ऑन लाईन पोर्टल पर प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बौंली को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बौंली की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकःआरटीआई / 2005 / 88 दिनांक 24.11.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 20.8.2025 मे चाही गयी सूचना प्रश्नात्मक होने के कारण अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवायी गयी है जिसके संबंध में अपीलान्ट को जरिये पत्रांक 89 दिनांक 24.11.2025 से वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 20.8.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना का पूर्ण विवरण यथा विकय पत्र क्रमांक एवं दिनांक अंकित नही होने के कारण चाही सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक नही है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि चाही गयी सूचना पंजीयन से संबंधित है जिसपर प्रशासनिक सुधार विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) क्रमांक प.20(84)प्रसू / सूअप्र / 2009पार्ट जयपुर दिनांक 12.10.2018 के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 लागू नही होकर पंजीयन अधिनियम लाूग होते है। अतः अपीलान्ट उक्त सूचना पंजीयन अधिनियम के तहत पूर्ण विवरण यथा दस्तावेज क्रमांक व दिनांक के आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निर्धारित शुल्क जमा करवाकर प्राप्त करे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	